

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 402]

नवा रायपुर, मंगलवार, दिनांक 21 जुलाई 2026 — आषाढ 30, शक 1948

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 18 जुलाई 2026

अधिसूचना

क्र. PROJ-41011/349/2026-C&I.— राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि राज्य में औद्योगिक विकास को अधिक गति प्रदान करने के लिए लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव, राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ राज्य की औद्योगिक विकास नीति 2024-30 की कंडिका (12.29) एवं अध्याय स-2 की कंडिका क्रमांक 14 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसरण में, औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के माध्यम से राज्य में वृहद उद्योग की स्थापना हेतु, राज्य में “टेक्सटाईल” सेक्टर में निवेश हेतु, मेसर्स श्री सरवना मिल्स लिमिटेड के लिए विशेष निवेश प्रोत्साहन पैकेज (बी-स्पोक पैकेज) का निर्धारण निम्नानुसार करता है:-

1. औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के अंतर्गत औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन के लिए “टेक्सटाईल/गारमेंट सेक्टर” के लिए अध्याय स-2 में प्रावधान किए गए हैं। मेसर्स श्री सरवना मिल्स लिमिटेड द्वारा राज्य में एकीकृत वस्त्र विनिर्माण (कताई, बुनाई, गारमेंटिंग, मुद्रण और कढ़ाई) हेतु टेक्सटाईल / गारमेंट सेक्टर में लगभग 525 करोड़ रुपये निवेश एवं लगभग 2,500 व्यक्तियों हेतु रोजगार सृजित होना प्रस्तावित किया गया है।

2. इस पैकेज के अंतर्गत उक्त उद्यम के लिए निम्नानुसार अनुदान/छूट/रियायत की मदवार स्वीकृति की जाती है:-

(1) इकाई को इस पैकेज के निम्नानुसार निवेश प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे:

- 40% स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, रोजगार गुणक-1.0 से 1.5 तक, अधिकतम रु. 310 करोड़, 07 वर्षों में वितरण।
- विद्युत शुल्क छूट, प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 12 वर्ष।
- स्टाम्प शुल्क छूट।
- भू-पंजीयन शुल्क प्रतिपूर्ति।
- भू-व्यपवर्तन शुल्क में 50% छूट।

- (vi) नवीन विद्युत कनेक्शन शुल्क (सिक्युरिटी डिपोजिट को छोड़कर) का 50% प्रतिपूर्ति।
- (vii) ईपीएफ प्रतिपूर्ति: नियोक्ता के अंशदान का 100%, प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 05 वर्ष के लिए। (छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों हेतु)
- (viii) रोजगार सृजन अनुदान: रु. 5000 प्रति पुरुष कर्मचारी प्रति माह, रु. 6000 प्रति महिला कर्मचारी प्रति माह। प्रति कर्मचारी 07 वर्षों के लिए, अधिकतम प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 10 वर्ष। वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से तीन माह पूर्व से देय वेतन पर अनुदान देय होगा। (छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों हेतु)
- (ix) प्रशिक्षण वृत्ति प्रतिपूर्ति: एक माह का वेतन, प्रति कर्मचारी अधिकतम रु. 15,000 तक, तथा अधिकतम सीमा मान्य स्थायी पूंजी निवेश के 100% तक होगी। यह प्रावधान केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी श्रमिकों पर लागू होगा। प्रशिक्षण सब्सिडी वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ होने से तीन माह पूर्व से पाँच वर्षों तक देय होगी। प्रथम क्लेम कर्मचारी की नियुक्ति के छह माह बाद भुगतान योग्य होगा।
- (x) अनुसंधान एवं विकास हेतु प्लांट & machinery पर 25% अनुदान, अधिकतम रु. 1 करोड़।
- (xi) सावधि ऋण पर ब्याज अनुदान: 5% की दर से परिकलित ब्याज, अधिकतम रु. 15 करोड़ प्रतिवर्ष, 7 वर्षों तक।
- (xii) विद्युत अनुदान: विद्युत की खपत पर रु. 1.5 प्रति यूनिट की दर से अनुदान, प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 10 वर्षों तक एवं हरित ऊर्जा की खपत पर रु. 1 प्रति यूनिट की दर से अनुदान, प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक से 7 वर्षों तक। अधिकतम वार्षिक सीमा: स्थायी पूंजी निवेश का 2%।

(2) स्थायी पूंजी निवेश अनुदान निम्नानुसार टर्नओवर से संबंधित होगा:

वर्ष	टर्नओवर लक्ष्य (रु. करोड़ में)
प्रथम	30
द्वितीय	60
तृतीय	140
चतुर्थ	200
पंचम	260
छटवाँ	305
सातवाँ	350

लक्ष्य का प्रतिशत	अनुदान का प्रतिशत
80% से अधिक	100%
70% - 79%	90%
60% - 69%	75%
50% - 59%	60%
50% से कम	निरंक

(3) रोजगार गुणांक 1.0 से 1.5 तक परिवर्तित होगा, जो इकाई द्वारा सृजित रोजगार की संख्या पर निम्नानुसार आधारित होगा:

रोजगार	रोजगार गुणक
99 तक	1.0
100-499	1.1
500-1199	1.2
1200-1749	1.3
1750-2499	1.4
2500 या उससे अधिक	1.5

3. यह पैकेज निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा-

(1) आर्थिक निवेश प्रोत्साहन की पात्रता उद्यम को इस पैकेज का लाभ तभी मिलेगा, जब वह न्यूनतम 1000 व्यक्तियों को अपने स्थायी नियोजन में रोजगार प्रदान करे।

(2) इकाई को अपना वाणिज्यिक उत्पादन 31 मार्च, 2030 से पहले प्रारंभ करना आवश्यक होगा।

(3) कुल पूंजी निवेश एवं रोजगार गणना की समय-सीमा:

(i) मान्य स्थायी पूंजी निवेश एवं रोजगार की गणना हेतु समय सीमा औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 की कंडिका (17) में उल्लेखित समय सीमा के अनुसार होगी।

(ii) इकाई को इस पैकेज का लाभ तभी प्राप्त होगा, जब उद्यम औद्योगिक विकास नीति 2024-30 के परिशिष्ट-1 की कंडिका (17) में उल्लेखित समय सीमा के भीतर न्यूनतम 1000 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करेगा।

(iii) न्यूनतम 1000 रोजगार प्रदान करने पर इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ दिनांक से इस पैकेज के अंतर्गत उल्लेखित अतिरिक्त निवेश प्रोत्साहन एरियर्स के रूप में प्रदान किए जाएंगे।

(iv) स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत भूमि, शेड/भवन, प्लांट & मशीनरी, विद्युत आपूर्ति, जल आपूर्ति, जलवायु नियंत्रण, आई.टी. डिज़ाइन, सी.ए.डी./सी.ए.एम. एवं कंप्यूटर, उत्पादन संबंधी फर्नीचर, डी.जी. सेट, अग्निशमन हाइड्रेंट, ई.टी.पी., एस.टी.पी., जेड.एल.डी. तथा श्रमिकों के लिए डॉरमेट्री सम्मिलित होंगे।

(4) उद्यम को प्रथम वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने से प्रथम वर्ष में अपने स्थायी नियोजन में न्यूनतम 50%, 03 वर्ष के भीतर न्यूनतम 75% एवं प्रथम 05 वर्षों में न्यूनतम 90% छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को रोजगार प्रदान करना होगा।

4. इस पैकेज में उल्लिखित शब्दों का अर्थान्वयन औद्योगिक विकास नीति 2024-30 एवं इसके क्रियान्वन के लिए बने नियमों के अनुसार होगा। इस पैकेज का क्रियान्वयन सम्बंधित छूट, अनुदान, प्रतिपूर्ति हेतु जारी नियमों में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, तथा आवश्यक दिशा-निर्देश एवं मार्गदर्शन छत्तीसगढ़ शासन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग द्वारा जारी किए जा सकेंगे।

यह अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से प्रवृत्त माना जाएगा।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रजत कुमार, सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar, the 18th July 2026

NOTIFICATION

No. PROJ-41011/349/2026-C&I.— The State Government is satisfied with the fact that it is necessary in the public interest to accelerate industrial development in the State. Therefore, the State Government, in pursuance of the provisions mentioned in Para (12.29) of the Chhattisgarh State Industrial Development Policy 2024-30 and Para 14 of Chapter C-2 thereof, hereby determines the Special Investment Incentive Package (Bespoke Package) for M/s Saravana Mills Limited, for investment in the "Textile" sector in the State, for establishment of a large industry in the State through industrial investment promotion, as follows:-

1. Provisions have been made in Chapter C-2 of the Industrial Development Policy 2024-30 for industrial investment promotion for the "Textile/Garment Sector". M/s Saravana Mills Limited has proposed to invest approximately Rs. 525 crore in the Textile/Garment sector in the State for integrated textile manufacturing (spinning, weaving, garmenting, printing and embroidery), generating employment for approximately 2,500 persons.

2. Under this package, item-wise approval of subsidies/exemptions/concessions is granted for the said enterprise as follows:-

(1) The unit shall be provided the following investment incentives under this package:

(i) 40% Fixed Capital Investment Subsidy, employment multiplier 1.0 to 1.5, maximum Rs. 310 crore, disbursed over 07 years.

(ii) Electricity Duty exemption, for 12 years from the date of first commercial production.

(iii) Stamp Duty exemption.

(iv) Reimbursement of Land Registration fee.

(v) 50% exemption on Land Diversion (Change of Land Use) fee.

(vi) 50% reimbursement of New Electricity Connection charges (excluding security deposit).

(vii) EPF Reimbursement: 100% of the employer's contribution, for 05 years from the date of first commercial production. (For domicile of Chhattisgarh)

(viii) Employment Generation Subsidy: Rs. 5,000 per male employee per month, Rs. 6,000 per female employee per month, for 07 years per employee, maximum up to 10 years from the date of first commercial production. The subsidy shall be payable on salaries payable from three months prior to commencement of commercial production. (For domicile of Chhattisgarh)

(ix) Training Stipend Reimbursement: One month's salary, maximum Rs. 15,000 per employee, subject to a maximum ceiling of 100% of the eligible Fixed Capital Investment. This provision shall apply only to workers who are domicile of Chhattisgarh. The training subsidy shall be payable for five years, commencing three months prior to commencement of commercial production. The first claim shall become payable six months after the employee's appointment.

(x) 25% subsidy on Plant & Machinery for Research and Development, maximum Rs. 1 crore.

(xi) Interest Subsidy on Term Loan: interest calculated at the rate of 5%, maximum Rs. 15 crore per annum, for 7 years.

(xii) Electricity Subsidy: subsidy on electricity consumption at the rate of Rs. 1.5 per unit, for 10 years from the date of first commercial production, and subsidy on green energy consumption at the rate of Rs. 1 per unit, for 7 years from the date of first commercial production. Maximum annual limit: 2% of Fixed Capital Investment.

(2) The Fixed Capital Investment Subsidy shall be linked to turnover as follows:

Year	Turnover Target (Rs. in crore)
First	30
Second	60
Third	140
Fourth	200
Fifth	260
Sixth	305

Seventh	350
---------	-----

Percentage of Target Achieved	Percentage of Subsidy
More than 80%	100%
70% – 79%	90%
60% – 69%	75%
50% – 59%	60%
Less than 50%	Nil

(3) The employment multiplier shall vary from 1.0 to 1.5, based on the employment generated unit as per following:

Employment	Employment Multiplier
Up to 99	1.0
100-499	1.1
500-1199	1.2
1200-1749	1.3
1750-2499	1.4
2500 or more	1.5

3. This package shall be subject to the following conditions:-

(1) The enterprise shall be eligible for economic investment incentives, and shall receive the benefit of this package, only if it provides employment to a minimum of 1,000 persons in its permanent employment.

(2) The unit shall be required to commence its commercial production, after expansion, before 31 March 2030.

(3) Timeline for computation of total capital investment and employment:

(i) The timeline for computation of eligible Fixed Capital Investment and employment shall be as per the timeline mentioned in Para (17) of Annexure-1 of the Industrial Development Policy 2024-30.

(ii) The unit shall receive the benefit of this package only if the enterprise provides employment to a minimum of 1,000 persons within the timeline mentioned in Para (17) of Annexure-1 of the Industrial Development Policy 2024-30.

(iii) Upon providing minimum employment of 1,000 persons, the unit shall be provided the additional investment incentive arrears under this package, from the date of commencement of commercial production.

(iv) Fixed Capital Investment shall include land, shed/building, plant & machinery, electricity supply, water supply, climate control, IT design, CAD/CAM and computers, production-related furniture, DG set, fire-fighting hydrant, ETP, STP, ZLD, and dormitories for workers.

(4) Enterprises shall be required to provide employment, in their permanent employment, to a minimum of 50% domicile of Chhattisgarh in the first year from commencement of first commercial production, a minimum of 75% within 03 years, and a minimum of 90% within the first 05 years.

4. The interpretation of the terms mentioned in this package shall be as per the Industrial Development Policy 2024-30 and the rules framed for its implementation. Implementation of this package in respect of the concerned exemptions, subsidies, and reimbursements shall be carried out as per the procedure mentioned in the rules issued therefor, and necessary guidelines and directions may be issued by the Government of Chhattisgarh, Department of Commerce and Industry.

This notification shall be deemed to be effective from the date of its issuance.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJAT KUMAR, Secretary.